# कार्यशाला वक्तव्य
# ''भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्र कार्यान्वयन के सामाजिक आयाम : क्या मछुआरा समुदाय लाभान्वित होता है?''

21 एवं 22 जनवरी 2009
इमेज ऑडिटोरियम, चेन्नई

हम, कारीगरों एवं लघु–स्तरीय मछुआरा संगठनो, मछुआरा समर्थक संगठनों, पर्यावरणीय समूहों, एवं वैज्ञानिक समुदायों के प्रतिनिधि, न्यायसम्मत एवं सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण संरक्षण, तटीय व समुद्री जीवन संसाधन के उपयोग व प्रबंधन के लिए समर्पित हैं एवं हमने चेन्नई में 21 एवं 22 जनवरी 2009 को सम्पन्न ''भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्र कार्यान्वयन के सामाजिक आयाम : क्या मछुआरा समुदाय लाभान्वित होता है?'' कार्यशाला में भागीदारी की;

मात्सियिकी के महत्व एवं मात्सियिकी पर लाखों मछुआरों की अत्यधिक निर्भरता के बारे में जागरूक हैं एवं इस वास्तविकता के बारे में भी जागरूक हैं कि समुद्री एवं तटीय इकोसिस्टम महत्वपूर्ण तटीय संरक्षण लाभ प्रदान करने वाली सम्पन्न उत्पादक व उपजाऊ आधार हैं;

मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु; गहिरमाथा (समुद्री) वन्य जीव अभयारण्य, उड़ीसा; कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क व अभयारण्य, गुजरात; सुन्दरबन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल; एवं मालवान (समुद्री) वन्य जीव अभयारण्य, महाराष्ट्र सरीखे समुद्री एवं तटीय संरक्षण क्षेत्र कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के सक्रिय समुद्री मछुआरों की न्यूनतम दस प्रतिशत आबादी के मछली पकड़ने के क्रियाकलापों पर अनुचित प्रतिबंध से उनकी आजीविका की समस्याओं के बारे में चिंतित होते हुए;

इस बात से भी चिंतित हैं कि गैर मात्सियिकी गतिविधियों का समुद्री एवं तटीय संरक्षित इलाकों पर विनाशकारी पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी असर होता है, जैसे कि औद्योगिक गतिविधियों से अंधाधुंध प्रदूषण एवं आवास विनाश, जिनका विनियमन नहीं हो रहा है, इस तरह मछुआरा समुदाय संरक्षण उपायों की विषमतापूर्वक लागत सह रहे हैं;

तटीय व समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण, उपयोग एवं प्रबंधन के समन्वित अवधारणा के ढांचे के अंतर्गत समुद्री एवं तटीय इलाकों के आस–पास रहने वाले मछुआरा समुदायों की आजीविका एवं व्यावसायिक हितों को प्रभावी रूप से हल करने के महत्व को समझते हुए;

हम सिफारिश करते हैं कि :

(1) समुद्री एवं तटीय संरक्षित इलाकों के कार्यान्वयन में भागीदारी, पर्यावरणीय न्याय, सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार के बुनियादी सिद्धांतो को समन्वित किया जाए
भारत के अन्दर एवं बाहर बेहतर परंपरा तय करते हुए सामाजिक एवं संरक्षण दोनों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समुद्री एवं तटीय संरक्षण क्षेत्र चयन, नियोजन, निर्धारण, कार्यान्वयन, समीक्षा एवं मूल्यांकन के हरेक स्तर पर नीति, कानून एवं व्यवहार की निर्णय प्रक्रिया में मछुआरा समुदायों की पूर्ण एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए;

मछुआरा समुदायों को सहयोगी माना जाना चाहिए, एवं प्रबंधन एवं सरंक्षण के लिए समुदाय आधारित गतिविधियों को मान्यता एवं समर्थन किया जाना चाहिए; तटीय एवं समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए विविध, भागीदारीपूर्ण एवं स्थल–विशेष अवधारणा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए;

टिकाऊ मछली पकड़ने वाले गियर एवं परंपरा इस्तेमाल करने वाले छोटे स्तर के मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। यदि मछली पकड़ने की गतिविधियों को विनियमित किया जाए तो, पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए, एवं प्रभावित समुदायों की अजीविका बढ़ाने एवं विविधता लाने के लिए व्यवस्थित एवं भागीदारीपूर्ण अवधारणा अपनायी जानी चाहिए;

इन इलाकों में मछुआरा समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को हल करने के विचार से भागीदारी, पर्यावरणीय न्याय, एवं मानवाधिकार के सिद्धान्त के मद्देनजर, मौजूदा समुद्री एवं तटीय संरक्षण इलाकों के कार्यान्वयन की तत्काल आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए;

नये समुद्री एवं तटीय संरक्षित क्षेत्र पर तभी विचार किया जाना चाहिए जब ऐसे इलाकों के निर्धारण एवं प्रबंधन के लिए भागीदारी, पर्यावरणीय न्याय, सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार के सिद्धान्तों को शामिल करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित हो जाए;

(2) गैर–मात्सियिकी माध्यमों से तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी को होने वाले खतरों को हल किया जाए

संरक्षित इलाकों के अंदर एवं बाहर समुद्री एवं तटीय आवासों को बन्दरगाहों, समुद्री जहाजों के लेन, पर्यटन विकास एवं अन्य संबंधित गतिविधियों सरीखे गैर मात्सियिकी माध्यमों से प्रदूषण एवं क्षरण रोकने के कड़े उपाय किए जाने चाहिए; और मौजूदा कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए;

(3) सभी प्रदेशों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में समुद्री मात्सियिकी विनियमन अधिनियम लागू किया जाए

क्षेत्रीय जलों में मात्सियिकी संरक्षण एवं प्रबंधन में सुधार के लिए समुद्री मात्सियिकी विनियमन अधिनियम, खासकर गैर मशीनीकृत मात्सियिकी क्षेत्र लागू करने, जाली आकार विनियमन एवं विनाशकारी मछली पकड़ने के गियर एवं परंपरा जैसे कि विस्फोटकों का इस्तेमाल, गहरी खुदाई एवं ज्यादा वजन वाले जाल इस्तेमाल करने (पर्स सीनिंग) आदि विनियमन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मात्सियिकी प्रबंधन में प्रभावी सुधार के लिए सह प्रबंधन व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना चाहिए;

(4) ईईजेड के सजीव संसाधनो के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कानून अपनाया जाए

सम्पूर्ण भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की मात्सियिकी सहित सजीव संसाधनों के लिए भागीदारीपूर्ण प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रभावी संरक्षण एवं प्रबंधन व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। इस सन्दर्भ में, समुद्री मात्सियिकी विनियमन अधिनियम आदि महत्वपूर्ण कानूनों को समीक्षा, संशोधन एवं सशक्त करने, एवं मात्सियिकी के लिए पर्यावरणीय कार्ययोजना अपनाने, मात्सियिकी संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकने वाले उपाय करने आदि पर विचार किया जाना चाहिए;

(5) तटीय एवं समुद्री सजीव संसाधनों के प्रबंधन के लिए समन्वित अवधारणा अपनायी जाए

राष्ट्रीय स्तर पर खासकर कृषि मंत्रालय एवं पर्यावरण व वन मंत्रालय के बीच एवं राज्य स्तर पर मात्सियिकी विभागों व वन विभागों के बीच सामंजस्य एवं सहयोग बेहतर किया जाना चाहिए। तटीय एवं समुद्री क्षेत्र के अधिकार सहित महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बीच एवं शोध संस्थानों एवं गैर सरकारी संगठनों के बीच अंतर–क्षेत्रीय समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष के तौर पर, हम आग्रह करते हैं कि मछुआरा समुदायों को तटीय एवं मात्सियिकी संसाधनों तक अपेक्षित पहुंच अधिकार सुनिश्चित करने वाले समुद्री एवं तटीय सजीव संसाधनों के संरक्षण, उपयोग एवं प्रबंधन के लिए समन्वित एवं भागीदारीपूर्ण संरचना को मान्यता देने की आवश्यकता है। यह मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 (यूडीएचआर), समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन 1982 (यूएनसीएलओएस), जिम्मेदारीपूर्ण मात्सियिकी के लिए 1995 की एफएओ की आचार संहिता (सीसीआरएफ), जीववैज्ञानिक विविधता पर सम्मेलन 1992 (सीबीडी), एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) के अंतर्गत भारत सरकार की जिम्मेदारी व प्रतिबद्धता के तहत किया जाना चाहिए।

हस्ताक्षरकर्ता
संगठन

1. राष्ट्रीय मछुआरा मंच {नेशनल फिशवर्कर्स फोरम (एनएफएफ)}
2. मालवन तालुका श्रमिक मच्छीमार संघ, महाराष्ट्र
3. सुन्दरबन मछुआरा संयुक्त कार्यवाही समिति, पश्चिम बंगाल
4. रामनद जिला फिशवर्कर्स ट्रेड यूनियन, तमिलनाडु
5. वंगाकडाल मीन थोझीललार संगम, तमिलनाडु
6. उड़ीसा पारंपरिक मछुआरा यूनियन (ओटीएफडब्ल्यूयू), उड़ीसा
7. इंटरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशवर्कर्स (आईसीएसएफ)
8. साउथ इंडियन फेडेरेशन ऑफ फिशरमेन सोसाइटीज (सीआईएफएफएस)
9. कल्पवृक्ष
10. ग्रीनपीस इंडिया
11. धन फाउंडेशन
12. दक्षिण फाउंडेशन
13. एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन (एएफपीआरओ)
14. एकीकृत तटीय प्रबंधन (आईसीएम)
15. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया
16. प्रोजेक्ट स्वराज्य, उड़ीसा
17. सेतु सूचना केन्द्र, कच्छ, गुजरात
18. ग्रुप फॉर नेचर, प्रिजरवेशन एंड एजुकेशन (जीएनएपीई), तमिलनाडु
19. प्रोत्साहन, केरल
20. डाइरेक्ट इनिशिएटिव फॉर सोशल एंड हेल्थ एक्शन (दिशा), पश्चिम बंगाल

व्यक्ति

1. डा. कार्तिक शंकर, भारतीय विज्ञान संस्थान एवं दक्षिण फाउंडेशन, बंगलौर
2. डॉ. बी सी चौधरी, प्रोफेसर, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
3. डा. आशालेथा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी), कोचीन
4. डॉ. वी. सम्पथ, पूर्व सलाहकार, भू–विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार
5. श्री संजय उपाध्याय, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय और मानद प्रबंध ट्रस्टी, पर्यावरण कानून एवं डेवलपमेंट फाउंडेशन, नई दिल्ली
6. सुश्री एम. राचेल पर्लिन, नागरिक उपभोक्ता एवं नागरिक कार्य समूह (सीएजी), तमिलनाडु
7. श्री मनीश चंडी, रिसर्च एसोसिएट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर्यावरणीय दल (एएनइटी) एवं अनुसंधान सहयोगी, नेचर कंजरवेशन फाउंडेशन (एनसीएफ), कर्नाटक